न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– परशुराम धानका
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
05 / 2021 / प्रा.पत्र / 2021	13.01.2021	17.06.2022

सत्यनारायण गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक
.......आवेदक

बनाम

1–श्री विनोद बाबानी पुत्र श्री मोहनलाल सिन्धी निवासी सिन्धी कॉलोनी छावनी टोंक जिला टोंक विक्रेता मैसर्स ओम शिवम वैरायटी स्टोर बमोर गेट टोंक जिला टोंक राज.
2–श्री मोहनलाल सिन्धी पुत्र श्री बूलचन्द सिन्धी निवासी सिन्धी कॉलोनी छावनी टोंक जिला टोंक प्रोपरायटर मैसर्स ओम शिवम वैरायटी स्टोर बमोर गेट टोंक जिला टोंक राज.
3–मैसर्स ओम शिवम वैरायटी स्टोर बमोर गेट टोंक जिला टोंक राज.
......अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 51 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित–
1–पेरोकार सरकार उपस्थित।
2–अप्रार्थीगण की ओर से श्री विनोद कुमार बाबानी उपस्थित।

:–**निर्णय**–: **दिनांक 17.06.2022**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 21.08.2020 को समय 06:00 पी.एम. पर मैसर्स ओम शिवम वैरायटी स्टोर बमोर गेट टोंक जिला टोंक राज. पर पहुंचा। वहॉ श्री विनोद बाबानी पुत्र श्री मोहनलाल सिन्धी मिला, को अपना परिचय दिया एवं उनसे परिचय लिया तथा पूछने पर श्री विनोद बाबानी ने स्वयं को मैसर्स ओम शिवम वैरायटी स्टोर बमोर गेट टोंक जिला टोंक राज. का विक्रेता होना स्वीकार किया तथा खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाकर अपने पिता श्री मोहनलाल सिन्धी पुत्र श्री बूलचन्द सिन्धी को उक्त फर्म का प्रोपरायटर होना बताया।

आवेदक द्वारा दुकान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय करने हेतु दुकान में प्लास्टिक की थैलियों में लगभग 120 पैकेट प्रत्येक 180 ग्राम (50 पाउच पैक) **पान मसाला (बहार सलेक्ट)** रखा हुआ था, जिसे देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा होने पर विक्रेता श्री विनोद बाबानी को फार्म नं. 5 ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर, विक्रेता को सूचित कर दोनों प्रतियों में विक्रेता श्री विनोद कुमार बाबानी व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर मय सील मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह **पान मसाला (बहार सलेक्ट)** वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु कय किया जा रहा है, 12 मूल पैकेट प्रत्येक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

180 ग्राम (50 पाउच पैक) जिसके बैच नं. एन व पैकिंग की दिनांक जुलाई 2020 थी, को ज्यों का त्यों खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक ने खरीदशुदा **पान मसाला (बहार सलेक्ट)** 12 पैकेट को बराबर–बराबर नियमानुसार चार भाग तैयार कर प्रत्येक भाग में 3–3 पैकेट कागज के गत्ते के डिब्बे में रखकर, डिब्बे के ढक्कन को अच्छी तरह एयरटाईट बन्द कर नियमानुसार चार नमूना भाग तैयार किये एवं चारों नमूना भागों के लिए चार लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया और प्रत्येक लेबल पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गये खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–2550 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेटकर सिर मुंह को गोद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप न. आई–2550 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येंक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें। चारों नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की।

खाद्य पदार्थ **पान मसाला (बहार सलेक्ट)** का नमूना क्रय करते समय श्री विनोद बाबानी पुत्र श्री मोहनलाल सिन्धी विक्रेता मैसर्स ओम शिवम वैरायटी स्टोर बमोर गेट टोंक जिला टोंक राज.ने मौके पर बतौर वारन्टी कोई खरीद बिल प्रस्तुत नहीं किया।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2020/3177 दिनांक 16.09.2020 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एलएस/1198/एक्ट/2020/1280 दिनांक 04.09.2020 के अनुसार विक्रेता श्री विनोद कुमार बाबानी से वास्ते मानक स्तर की जांच कराने हेतु क्रय किया गया **पान मसाला (बहार सलेक्ट)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के रेगुलेशन नं. 2.3.1 के अनुसार **कॉन्ट्रावेन (Contravene)** व खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा **3(1)(zf)(c)(i)** के अनुसार **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** व खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा **3(1)(zz)(v), 3(1)(zz)(vii)** व **3(1)(zz)(xi)** का उल्लंघन करने के कारण **असुरक्षित (Unsafe)** स्तर का होना पाया गया जिसकी श्री विनोद बाबानी पुत्र श्री मोहनलाल सिन्धी विक्रेता मैसर्स ओम शिवम वैरायटी स्टोर बमोर गेट टोंक जिला टोंक राज. को मय रजिस्टर्ड डाक से भिजवायी गयी।

श्री विनोद बाबानी पुत्र श्री मोहनलाल सिन्धी विक्रेता मैसर्स ओम शिवम वैरायटी स्टोर बमोर गेट टोंक जिला टोंक राज. के व्यवहारी ने समयावधि में धारा 46(4) के अन्तर्गत नमूना पुनः जांच करवाने हेतु अपील आवेदन किया, अपील पर नमूना पुनः जांच करवाने हेतु निदेशक रैफरल फूड लैब मैसूर भिजवाया गया।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र कमांक एफ.एस.एस.ए./2020/4281 दिनांक 15.12.2020 के द्वारा ज्ञात हुआ कि निदेशक रैफरल फूड लैब मैसूर की जाचं रिपोर्ट कमांक एफटी/एक्यूसीएल/एफ.एस.एस.ए.(578एफ)/2020 दिनांक 10.12.2020 के अनुसार उक्त नमूना एफ.एस.एस.ए. की धारा **3(1)(zx)** उल्लंघन के कारण **अवमानक (Sub-Standard)** पाया गया जो कि अन्तिम रूप से मान्य हैं। प्रकरण में अप्रार्थीगण ने **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का **पान मसाला (बहार सलेक्ट)** का विकय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 (सहपठित धारा 49) में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से अप्राथी सं. 1 श्री विनोद कुमार बाबानी स्वयं उपस्थित हुए एवं अपना व अपने पिता श्री मोहन लाल सिन्धी की तरफ से जुर्म स्वीकार किया। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र पर अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **पान मसाला (बहार सलेक्ट)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **पान मसाला (बहार सलेक्ट)** नमूना जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51(सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माना की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी सं. 1 से 3 पर कुल शास्ति रूपये 1,00,000/– (अक्षरे एक लाख रू0) आरोपित जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 17.06.2022 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। निर्णय की प्रति अप्रार्थी एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक को प्रेषित की जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 17.06.2022 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(परशुराम धानका)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0